न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र भट्ट (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 19/2019 प्रार्थना पत्र

उनवान

प्राधिकृत अधिकारी – मैसर्स कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड रजिस्टर्ड ऑफिस 27 बीकेसी, सी 27, जी ब्लॉक, बान्द्रा कुर्ला काम्पलेक्स , बान्द्रा (ई) मुम्बई 400051

— प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स अरिहन्त ज्वैलर्स प्रोप. फर्म महावीर कुमार खाब्या 79, पेच एरिया, नागोरी गार्डन भीलवाडा
2. श्रीमती सीमा खाब्या निवासी 638, तेलियों की बाडी के पास, पुर रोड, भीलवाडा
3. श्रीमती दयाल कंवर निवासी 638, तेलियों की बाडी के पास, पुर रोड, भीलवाडा
4. श्री अशोक अम्बालाल जैन निवासी गणेश मंदिर , जी सैक्टर, एन लाईन, कमरा नं. 11 चीता कैम्प ट्रोम्बे, टी एफ डोनर, मुंबई 4000088

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

प्राधिकृत अधिकारी– श्री विवेक जोशी

निर्णय

दिनांक : 1-3-2019

प्राधिकृत अधिकारी, श्री विवेक जोशी मैसर्स कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रस्तुत किया। जिसमें उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी को ऋण सुविधा प्रदान की थी। जिसमें अप्रार्थी को 50,00,000/– रुपये का ऋण दिनांक 17.11.2015 को स्वीकृत किया गया। उक्त ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर भूमि व भवन जो अचल सम्पति – प्लाट नम्बर 70 पेच एरिया नियर महावीर पार्क, भीलवाडा जिसका ग्राउण्ड फ्लोर क्षेत्रफल 660 वर्गफीट, प्रथम तल क्षेत्रफल 1295.15 वर्गफीट, द्वितीय तल क्षेत्रफल 1295.15 वर्गफीट व तृतीय तल क्षेत्रफल 1295.15 वर्गफीट जो अप्रार्थी के स्वामित्व की है को रहन रखा गया। दिनांक 28.02.2018 तक कुल बकाया ऋण की राशि 50,72,716.09/– रूपये है। अप्रार्थी के द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया गया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत पंजीकृत नोटिस भेजा गया परन्तु अप्रार्थी ने ऋण राशि की अदायगी नहीं की। प्रार्थी ने ऋणी के खाते को 28.08.2018 को नो परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है। जिससे प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई साम्यिक बन्धक सम्पत्ति का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी को है।

(4)

प्रार्थी अधिकृत अधिकारी उपस्थित होकर जाहिर किया कि नियमों के अनुस समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विश्वास कर उनके द्वारा दिये गये शपथ–पत्र के आध पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा रहनशुदा सम्पत्ति को प्रार्थी को सम्भलवाने आदेश निम्न शर्तों पर दिए जाते हैं:–

1.रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा लेकर संभलवाते वक्त यदि नियमान्तर्गत आक्ष प्राप्त होता है तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करवावें।

2.आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ–पत्र पर दिये जा रहे हैं यदि नियमों अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है तो समस्त उत्तरदायि प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

निर्णय की प्रति तहसीलदार भीलवाडा को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि प्राध के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति को दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 3 के प्रावधानों की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्भलवाया जावे। आदेश क पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहन रखी सम्पत्ति के सम्बन्ध में किस सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा को पर्याप्त पुलिस जाप्त मुहैया कराने हेतु निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमा होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12-03-2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाय गया।

(राजेन्द्र भट्ट)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा